2.24.1

वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव सं0......)

जनपद बागेश्वर में स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 6.00 कि.मी. के निर्माण के समबन्ध में अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा सूचित किया गया है कि मार्ग के संरेखण में वन पंचायत मनाखेत की भूमि आ रही है। वन भूमि प्रस्ताव की पूर्ति हेतु वन पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में वन पंचायत मनाखेत की दिनांक 12-9-2018 को आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि को लो0नि0वि0 को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और इसकी एक प्रति लोक निर्माण विभाग को भेजने हेतु सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया हैं।

स्थानः– ग्राम मनाखेत

दिनांकः– 4/9/2021

ह0 सरपंच
की मुहर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित् की जाती है।

ह0 सरपंच
की मुहर

वन पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर –

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

सरपंच
वन पंचायत मनाखेत
पो0-कांधार, (बागेश्वर)

सरपंच
वन पंचायत
जिला-बागेश्वर (उत्तरांचल)

वन पंचायत कुरसाली
जनपद – बागेश्वर